Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 3, March - 2025

DOIs:10.2018/SS/202503009 --:-- Research Paper / Article / Review

घरेलू प्रवासी मतदाताओं के मतदान अधिकार का अवलोकन

लेखराज वर्मा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, ब्यावर, राजस्थान ३०५९०१
Email - lekhrajverma0@gmail.com

शोध सार : मानव जीवन में प्रवास की अवधारणा पुरातन है मनुष्य रोजगार] शिक्षा] पारिवारिक कारणों से प्रवास करता है] जहां वह प्रवास कर रहा है वहां पर उसकी अलग संस्कृति व अलग व्यवस्थाएं होती है जो मूल निवास से अलग होती है । उसी के अनुसार उसे अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त होती है । चुनाव में मत देने के अधिकार से भी वे प्रभावित होते है । क्योकि वह अपना मत केवल वहां दे सकते है जहां मतदाता सूची में नाम है और सामान्यत- मतदाता सूची में नाम अपने मूल निवास स्थान पर ही होता है । ऐसे में वह प्रवासी अपने मूल निवास पर जाकर ही मतदान का प्रयोग कर सकता है अन्य स्थान पर नहीं यह उसके लिए कभी संभव होता है कभी नहीं होता है क्योकि कभी वह आवागमन में पैसे व समय के अभाव के कारण मूल निवास पर आकर मतदान नहीं कर पाता है जिसका प्रभाव यह होता है कि मतदान प्रतिशत कम रहता है । चुनाव आयोग ने इस स्तर पर प्रयास किये कि ऐसे प्रवासियों को पोस्ट बैलेट या इन्टरनेट के माध्यम से यह अधिकार दिया जाये कि वह भी मतदान का अधिकार प्राप्त कर गौरवान्वित महसूस कर सके व अपने मत का प्रयोग कर सके । 18 वीं लोकसभा के चुनाव के अन्तर्गत चुनाव आयोग ने बुजुर्ग दिव्यांग व थर्ड जेण्डर को यह अधिकार देकर आंशिक शुरूआत की है अगर प्रवासियो को भी यह सुविधा मिलती है तो मतप्रतिशत में भी बढोतरी सम्भव है जो लोकतंत्र व्यवस्था में एक सकारात्मक कदम होगा ।

बीज शब्द : प्रवासी, अप्रवासी, उत्प्रवासी, PVTG कमजोर जनजाति समूह, रिमोट वोटिंग ।

1. प्रस्तावना: प्रवास मनुष्य के जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है] सामान्यतः मनुष्य अपने व परिवार के जीवन की बेहतरी के लिए अपना मूल निवास छोड़कर दूसरे स्थान पर रहकर कार्य करता है व इसके लिए प्रयास करता है । प्रवास सामान्यतः अध्ययन] नौकरी] रोजगार] परिवार व रिश्तेदारी निभाने के लिए अपनाया जाता रहा है । प्रवासन के अन्य पक्ष भी हो सकते है - बेहतर आर्थिक अवसर] बेहतर जीवन शैली] बेहतर शैक्षिक अवसर] जनसांख्यिकीय असंतुलन] पारिवारिक पुर्नमिलन] प्राकृतिक आपदाएं] जलवायु परिवर्तन] महामारी का प्रसार] युद्व] राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन] नरसंहार] धार्मिक कारण और सामाजिक बहिष्कार आदि हो सकते है । [1]

प्रवासी उसे कहां जा सकता है जो व्यक्ति अपने प्राकृतिक या मूल निवास से दूर किसी अन्य स्थान] क्षैत्र] या देश में चला जाता है । इसे अन्यरूप में वर्गीकृत करके भी समझा जा सकता है ।

1- अप्रवासी (Immigrants) जो अपने मूलनिवास से अन्यत्र देश में जाकर रह रहा है लेकिन नागरिकता प्राप्त नहीं की है ।

2- घरेलू अप्रवासी (Home/Local Immigrants) जो अपने ही देश में मूलनिवास से अन्यत्र स्थान में जाकर रह रहा है ।

3- उत्प्रासी (Emmigrants) जो अपने मूलनिवास से अन्यत्र देश में जाकर बस गया व नागरिकता प्राप्त कर ली है ।[2]

सामान्य प्रत्येक देश के नागरिक को मतदान का अधिकार उसे राजनीतिक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनु. 326 के अनुसार भारतीय नागरिक को लोकसभा व विधानसभा में प्रतिनिधि चुनने व उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है लेकिन प्रवासी मतदाता अपने इस अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते है क्योकि -

* अपने प्रवास स्थान से मूल निवास की दूरी का अत्यधिक होना ।
* आने जाने में पैसे का व्यय होना ।
* अत्यधिक समय का प्रयोग में आना । आदि ।

उपर्युक्त कारणों से प्रवासी राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते है व उनका राजनीति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। प्रवासियों के द्वारा मतदान को उपेक्षित करने से मतदान प्रतिशत में कमी आती है । चुनाव आयोग अपने स्तर पर यह प्रयास करता है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाये । मतदान प्रतिशत बढ़ने से ही राजनीति में सकारात्मकता आयेगी व अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आयेगे लेकिन प्रवासियों को आधुनिकता के दौर में भी उचित सहायता नहीं मिलने से वे मतदान करने से वंचित रह जाते है । चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम द्वारा स्कूल] कॉलेज के युवाओं को जोड़कर कई माध्यम से मतदान के लिए प्रचार - प्रसार कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है । अगर चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी मतदाताओं को इस आधुनिक युग में नई तकनीक से जोड़कर मतदान का अधिकार प्रवास स्थान पर ही प्रदान कर देवे तो निश्चित ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

हांलाकि चुनाव आयोग ने 2022 में घरेलू प्रवासी मतदाताओ के लिए रिमोट वोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट शूरू करने का प्रयास किया था। चुनाव आयोग ने एक प्रेस सूचना जारी करके यह बताया कि - आम चुनाव 2019 में मतदान प्रतिशत 67-4 रहा है व 30 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाये थे। इसके पीछे आंतरिक प्रवास (घरेलू प्रवास) को अपने प्रवास का मत अधिकार न मिलना भी बड़ा कारण रहा है ।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने उत्तराखण्ड़ के चमौली जिले की यात्रा पर प्रवासी मतदाताओं के इस मुद्दे से सामना हुआ और उन्होने समावेशी समाधान के लिए दो तरफा भौतिक पारगमन डाक मतपत्र] पॉक्सी वोटिंग] विशेष प्रारम्भिक मतदान केन्द्रो पर मतदान] डाकमत्र प्रणाली व इन्टरनेट आधारित प्रणाली जैसे नवीन वैकल्पिक तरीकों को शामिल करने का समर्थन किया ।[3]

उपर्युक्त प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक नोट प्रसारित कर घरेलू प्रवासियों के मतदान को सुगम बनाने हेतु आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला । इस नोट के अनुसार 3 प्रकार की चुनौतियां स्पष्ट हुई है ।

1-प्रशासनिक 2- कानूनी 3- तकनीकि

1-**प्रशासनिक चुनौतियां -** दूरस्थ मतदाताओं की गणना] मतदान की गोपनीयतk व मतदान केन्द्र पर एजेन्टों की व्यवस्था व मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना]मतदान केन्द्रों पर कार्मिकों व पर्यवेक्षणों की नियुक्ति आदि ।

2-कानूनी चुनौतियां - आर.पी. अधिनियम 1950- 51 निर्वाचक पंजीकरण 1960] व चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करना। प्रवासी मतदाता व रिमोट वोटिंग को परिभाषित करना ।

3- तकनीकि चुनौतियां - दूरस्थ स्थान पर मतदान सम्बंधित क्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण व क्रियान्वयन करना, मतसंग्रह व मतगणना करना ।[4]

चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त 08 राष्ट्रीय और 57 राजनीतिक दलों को 16 जनवरी 2023 को बहुनिर्वाचन क्षैत्र प्रोटोटाइप रिमोट इZवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया व 31 जनवरी 2023 तक राय मांगी लेकिन किसी तरह का सार्थक प्रयास नहीं हो पाया । [5]

रिमोट वोटिंग मशीन के सम्बंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां कि - रिमोट वोटिंग मशीन एक परिवर्तनकारी पहल है युवाओं और शहरी उदासीनता पर ध्यान देने के बाद चुनावी लोकतंत्र में भागीदारी को मजबूत करने के लिए होगी । [6]

रिमोट वोटिंग मशीन का विचार जो कि उतराखण्ड़ की भूमि से उपजा था यह घरेलू प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए उचित सिद्व होता अगर इस पर अमल होता ।

इस व्यवस्था को अब तक ब्रिटेन] अमेरिका] आस्ट्रेलिया] कनाड़ा और जर्मनी में ऑनलाईन वोटिंग के रूप में अपनाया गया है। हांलाकि सबके नियम अलग अलग है । 2010 में भारत में भी ई - वोटिंग प्रक्रियां का ट्राइल किया जा चुका है लेकिन सार्थक कदम अभी भी बाकी है ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस प्रणाली की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस प्रयास की सराहना की। तात्कालिक चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहां कि यह पहल प्रवासियों के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकती है । प्रवासियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था लागू होने पर अपनी जड़ों से जुडों से जुड़े रहने में मददगार साबित होगी । [7]

निश्चित ही यह स्पष्ट है कि प्रवासी मतदाता कई कारणों से अपने जन्मस्थान पर जाकर मतदान करने से वंचित रह जाते है इस इंटरनेट के युग में जहां हर कार्य सुलभता से किया जा रहा है इसे पारदर्शी रूप में अतिशीघ्र लागू किया जा सकता है जो चुनावी मतदान प्रतिशत बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूती देने में सहायक होगा।

18 वीं लोकसभा के चुनाव तक भी इस पक्ष पर राजनीतिक दलों में सहमति न बन पाई है व चुनाव आयोग भी सक्रिय रूप में नजर नहीं आया। यह लोकतंत्र में उदासीनता का प्रतीक है इससे टालने की प्रवृति दिख रही है अगर इसमें और देरी होती है तो फिर यह स्पष्ट है कि हम सही दिशा की और गतिशील नहीं है ।

चुनाव आयोग ने इस 18 वीं लोकसभा में इसके आंशिक पक्ष को लागू किया है। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता] 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले मतदाता] थर्ड जेण्ड़र] कमजोर जनजाति समूह (PVTG) का घरपर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराकर सकारात्मकता का परिचय दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार देशभर में 81 लाख से अधिक 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता व 90 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता है। इसको सफल रूप देने के लिए सक्षम ऐप लांच करके किया है ।[8]

18 वीं लोकसभा के चुनाव में प्रवासी मतदाताओं के बारे में यह तथ्य सामने आया है कि इस चुनाव में 1]19]374 प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकृत हुए थे । चुनाव में 2958 ने अपने मत का प्रयोग किया सबसे ज्यादा केरल में 2670

प्रवासी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया । कर्नाटक] उत्तरप्रदेश] और तमिलनाडू में किसी ने मत का प्रयोग नहीं किया ।[9]

प्रवासी मतदाताओं के कुछ तथ्य है लेकिन घरेलू प्रवासी मतदाताओं का किसी भी तरह का तथ्य चुनाव आयोग के पास नहीं हैं जो चिंताजनक है । अगर चुनाव आयोग का सकारात्मक प्रयास यह होता कि वह अन्य देशो की तरह इण्टरनेट व डाकमत्र की सुविधा प्रदान कर देता तो प्रवासियों का मत प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है । क्योकि प्रवासी मतदाता आवागमन के खर्च] रोजगार] पढ़ाई] व कार्य की वजह से इस कार्य में विशेष रूचि नहीं दिखा पाते है। अगर चुनाव आयोग इस सम्बंध में सकारात्मक पहल से इण्टरनेट व डाकमत्र की सुविधा प्रारम्भ कर पाता है तो निम्न बदलाव देखे जा सकते है ।

* प्रवासी अपने मूल स्थान से ज्यादा लगाव महसूस करेगा ।
* मतदान प्रतिशत में बढोतरी सम्भव रहेगी ।
* लोकतंत्र को सकारात्मक दिशा प्रदान करने में सफलता मिलेगी ।
* प्रवासियों की राजनीतिक सहभागिता बढेगी ।
* प्रवासियों में आत्म गौरव व सम्मन का भाव पैदा होगा ।

उपर्युक्त सकारात्मक बदलाव लोकतंत्र के हित में होगे व प्रवासियों को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने से गौरव की अनुभूति होगी ।

---

[1] डॉ; सदानंद साहू,अंतविषयक एवं परविषयक विघापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

[2] वहीं

[3] प्रेस सूचना ब्यूरो चुनाव आयोग, नई दिल्ली, २९ दिस; २००२

[4] वहीं

[5] वहीं

[6] अमर उजाला नईदिल्ली

[7] हिन्दुस्तान ,नई दिल्ली

[8] प्रेस सूचना ब्यूरो चुनाव आयोग, नई दिल्ली, १२ अप्रेल, २०२४

[9] अमर उजाला नई दिल्ली २९ दिस; २०२४